उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-57/2017/2352जेएल/22-3-17-800(111)/2012
लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी अरूण सिंह उर्फ राजे भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह, निवासी जनपद-कानपुर नगर द्वारा पुत्र के विवाह हेतु दण्डादेश के अस्थाई निलम्बन (पैरोल) के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-17771/2017-अरूण सिंह उर्फ राजे भदौरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 08-08-2017 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं :-

> "Considering the facts and circumstances of the case, we dispose of this petition with a direction to respondent No.1, Principal Secretary, Department of Jail Administration and Reforms-Anubhag-2, Government of U.P. to take appropriate decision, in accordance with law, on pending request of the petitioner, preferably within a period of one month from the date of production of certified copy of this order."

2- मा0 न्यायालय के उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति सहित याची बंदी अरूण सिंह उर्फ राजे भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह द्वारा अपने अधिवक्ता, सुश्री सोनिया मिश्रा के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिनांक 17-08-2017 प्रस्तुत किया गया, जो कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 में दिनांक 22-08-2017 को प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र में यह अनुरोध किया गया है कि याची बंदी के घर पर उसके अतिरिक्त शादी की व्यवस्था व अन्य इन्तजामात करने वाला कोई नहीं है। शादी की तैयारी व व्यवस्था में कुछ पहले से ही समय की आवश्यकता है। अत: पैरोल एप्लीकेशन का निस्तारण मा0 न्यायालय द्वारा विहित समय सीमा के अन्दर ही किया जाय, ताकि याची समय से अपने पुत्र के विवाह आदि की व्यवस्था कर सके।

3- क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014-भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुरूगन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-12-2015 के अनुपालन में याची बंदी अरूण सिंह उर्फ राजे भदौरिया को पुत्र के विवाह हेतु दण्डादेश का अस्थाई निलम्बन (पैरोल) स्वीकृत किये जाने के सन्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-1091जे0एल0/22-3-17-800(111)/2012, दिनांक 15-06-2017 द्वारा पीठासीन अधिकारी, मा0 न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर का अभिमत मांगा गया। इस सन्बन्ध में पीठासीन अधिकारी, मा0 न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के पत्र संख्या-1627/। कानपुर नगर, दिनांक 07-07-2017 द्वारा यह आख्या उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करायी गयी है कि अभियुक्त अरूण सिंह उर्फ राजे भदौरिया को तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, कानपुर द्वारा दिनांक 06-01-2014 को दोष सिद्ध किया गया था, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। चूँकि दोषसिद्ध अरूण सिंह उर्फ राजे भदौरिया का विचारण उनके समक्ष न्यायालय में नहीं हुआ है, अतः वे इस सम्बन्ध में कोई अभिमत देने में असमर्थ हैं।

4- उपरोक्त के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया है कि बंदी के दण्डादेश के निलम्बन के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या-48/2014-भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुरूगन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-12-2015 बाध्यकारी है और सत्र न्यायालय, कानपुर नगर के पीठासीन अधिकारी की राय के बिना बंदी अरूण उर्फ राजे भदौरिया के दण्डादेश के निलम्बन के सम्बन्ध में द0प्र0सं0 की धारा-432(2) का उपयोग नहीं किया जा सकता।

5- अतएव वर्णित स्थिति में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रिट याचिका संख्या-17771/2017-अरूण सिंह उर्फ राजे भदौरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-08-2017 के अनुपालन में आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी अरूण सिंह उर्फ राजे भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह, निवासी जनपद-कानपुर नगर को पुत्र के विवाह हेतु दण्डादेश का अस्थाई निलम्बन (पैरोल) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी याची बंदी की पत्नी श्रीमती पूनम सिंह का पैरोल प्रार्थना पत्र दिनांक 15-09-2016, अस्वीकृत करते हुए एतदद्वारा निस्तारित किया जाता है।

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

<u>संख्या-57/2017/2352जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- सुश्री सोनिया मिश्रा, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ, निवास-म0नं0-6/24 बी0, विपुलखण्ड, लखनऊ।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
6- याची बंदी अरूण सिंह उर्फ राजे भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह, निवासी जनपद-कानपुर **द्वारा-**वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in